

राज्य स्तरीय मीडिया वर्कशॉप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

पाठकों तक तथ्यात्मक व सही जानकारी पहुंचाएँ : राजन

भोपाल (काग्र)।		
मीडिया निर्वाचन संबंधी तथ्यात्मक एवं सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाएँ। आयोग का प्रयास है कि मीडिया को निर्वाचन संबंधी सभी अद्यतन जानकारीयाँ दी जाएँ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह बात प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया वर्कशॉप में कहा।		
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मीडिया की अहम भूमिका है। श्री राजन ने कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्य में मीडिया का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मतदाता जागरूकता अभियान में मीडिया भी		
सहभागिता करे। श्री राजन ने कहा कि वे लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सके और पाठकों तक सही जानकारीयाँ पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारक पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पत्रकार मतदान के दिन कव्हेरेज में व्यस्त होने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी इच्छा पर उन्हें घर से वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिये।		
		
पत्रकार आयोग के आँख और कान		
संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री ने कहा कि पत्रकार आयोग के आँख और कान हैं। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से आयोग को ऐसी जानकारीयाँ मिल जाती हैं, जो कई बार प्रशासन की नजरों में नहीं आ पाती हैं। श्री खत्री ने कहा कि एमसीएमसी कमेटी के अनुमोदन के बाद ही राजनैतिक विज्ञापन जारी किये जाएँ। विज्ञापन समाचार के रूप में नहीं देना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से नेशनल मीडिया अवार्ड के लिये नामांकन दर्ज करने का भी आग्रह किया। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर पी.एन. सनेसर और डॉ. वाय.पी. सिंह ने सी-विजिल एप,		
केवाईसी, एमसीएमसी, पेड न्यूज, मीडिया एथिक्स और मतदान एवं मतगणना के दिन मीडिया कव्हेरेज सहित विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीडिया वर्कशॉप में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला अधिकारी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित थे।		
शोक व्यक्त: कार्यशाला में श्री राजन ने भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार मनोज सैनी के पुत्र के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजन को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।		

तेरह अभ्यर्थियों ने भरे नामांकन

अब तक 21 अभ्यर्थियों ने भरे 27 नाम निर्देशन पत्र

भोपाल (काग्र)।		
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मार्च से जारी हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन के तीसरे दिन 13 अभ्यर्थियों ने 19 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये।		
28 मार्च से अब तक 21 अभ्यर्थियों द्वारा 27 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। श्री राजन ने बताया है कि 2 अप्रैल को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-6 टीकमगढ़ (अजा) में एक अभ्यर्थी द्वारा एक नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-7 दमोह में 2 अभ्यर्थियों द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-8 खजुराहो में 2 अभ्यर्थियों द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-9 सतना में 4 अभ्यर्थियों द्वारा 6 नाम निर्देशन पत्र,		
लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-10 रीवा में 3 अभ्यर्थियों द्वारा 5 नाम निर्देशन पत्र एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-29 बैतूल (अजजा) में 1 अभ्यर्थी द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-17 नर्मदापुरम में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया।		
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारीयां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। इसके अगले दिन 5 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।		
भोपाल (काग्र)।		
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये लॉन्च किया गया है।		
इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू द्वारा निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में लांच किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रजिस्टर के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। पोर्टल की शुरूआत चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचनाओं से बचाने के लिए ईसीआई द्वारा किये जा रहे		
प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चुनावी अखंडता के लिए धन, बाहुबल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिये गलत सूचनाओं का त्वरित प्रतिकार जरूरी है। विश्व स्तर पर कई लोकतंत्रों में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार की बढ़ती चिंता के साथ, ईसीआई की यह अभिनव और सक्रिय पहल यह सुनिश्चित करने का एक विशेष प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और सत्यापित जानकारीयां ही मिलें। पोर्टल में चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित भ्रामक समाचारों, मिथकों और झूठ का प्रतिकार करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे तथ्यों को प्रसारित कराने में मदद मिलेगी। इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में डिजाइन किया		
गया है। यह रजिस्टर पहले से ही प्रचारित चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले मिथक, महत्वपूर्ण विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सभी हितधारकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। किसी भी चैनल के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध जानकारी को मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर में दी गई जानकारी से सत्यापित और पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथकों को दूर करने और लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान प्रमुख विषयों के बारे में सूचित करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इस रजिस्टर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारीयां साझा कर सकते हैं।		

ईसीआई द्वारा आम चुनाव में गलत सूचनाओं से निपटने के लिए पोर्टल लांच

शेफाली शरण ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला



भोपाल (काग्र)।

सुश्री शेफाली बी. शरण ने मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद एक अप्रैल को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुश्री शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं।

तीन दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना और प्रसारण जैसे मंत्रालयों के वरिष्ठ लिए पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी के

रूप में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रचार कार्यों को संभालने वाले केंडर संबंधी दायित्वों को निभाया है। वह भारत निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुकी हैं। साथ ही, उन्होंने ओएसडी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सूचना नीति, 2000-2002) के केंडर पोस्ट पर काम करने और 2007-2008 में एलएसटीवी, लोकसभा सचिवालय में निदेशक, प्रशासन एवं वित्त के रूप में दायित्व निभाने के अलावा केन्द्रीय कर्मचारी योजना प्रतिनियुक्ति के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली विभाग/आयुष विभाग (2002-2007)और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग 2013-2017) में निदेशक के रूप में भी काम किया है। पदभार संभालने पर, सुश्री शरण का पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया।

मानव संग्रहालय में आम दर्शकों के लिए गो कार्ट की सुविधा प्रारम्भ

भोपाल (काग्र)।		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं दौलत राम इंजीनियरिंग के सहयोग से आज से संग्रहालय भ्रमण पर आने वाले सभी दर्शकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा उचित मूल्य पर प्रारम्भ किया गया है। इस सेवा से दर्शक अपनी मनचाही प्रदर्शनी का अवलोकन कम समय में कर पाएंगे।		
प्रो. अमिताभ पांडे निदेशक मानव संग्रहालय ने बताया कि अभी प्रवेश द्वार क्रमांक 01 से 06 सीट वाली और प्रवेश द्वार क्रमांक 02 से 10 सीट वाली एक-एक गोल्फ कार्ट की सेवा शुरू की गयी है। इस गोल्फ कार्ट में 06 सीट वाली का किराया 02 घंटे के लिए 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) और 10 सीट वाली		
		
प्रदर्शनी स्थल के पास सीधे पहुंचने और थूप, गर्मी या सर्दी में पैदल नहीं चलने की चिंता से बचाएगा। पहले, जब पर्यटक पैदल प्रदर्शनी स्थल तक जाते थे, तो हमे विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब संग्रहालय भ्रमण और भी आरामदायक होगा। गोल्फ कार्ट की सेवा प्रवेश द्वार क्रमांक 01 से सुबह 11 बजे से प्रारम्भ होकर पहले पार्किंग, जन जातीय मुक्ताकाश प्रदर्शनी स्थल, हिमालय गाँव, वीथिसंकुल, मंडपम, आवृत्ती भवन, तटीय गाँव, मरु गाँव, मुक्ताकाश प्रदर्शनी स्थल तक जाएगी और प्रवेश द्वार क्रमांक 02 से दूसरी गाड़ी इन्ही स्थलो से प्रारम्भ होकर प्रवेश द्वार क्रमांक 01 पाहुचेगी। यह सेवा निर्बाध रूप से प्रत्येक एक घंटे के अंतराल मे जारी रहेगी।		
है। एक टिकट 50/- (पचास रुपए मात्र) प्रति ब्यक्ति के हिसाब से भी ले कर गोल्फ कार्ट का आनंद उठा सकते है,पर पूरी 06 सीट बुक होने पर ये सुविधा मिलेगी। संग्रहालय मे आए पर्यटकों ने कहा यह हम सब पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है।. यह हमें अलग -अलग		
के लिए किराया 02 घंटे के लिए 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) होगा। इस अवसर पर गोल्फ कार्ट सेवा का पहले चरण का संचालन करने वाले संस्थान दौलत राम इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि देवाशीष शर्मा ने बताया कि गोल्फ कार्ट की सेवाएँ एक समूह मे या प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से भी ले सकते		

एमवीएम के पूर्व छात्र 7 अप्रैल को खेलेंगे फूलों की होली

भोपाल (काग्र)। शासकीय मोती लाल विज्ञान महाविद्यालय) पूर्व विद्यार्थी संगठन (एमवीएम एलुमिनी) द्वारा आगामी रविवार 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे से महाविद्यालय के सभागार में फूलों से होली खेली जाएगी। एमवीएम एलुमिनी का होली के अवसर पर होने वाला यह तीसरा बड़ा आयोजन होगा, जिसमे फिर एक बार बड़ी संख्या में पूर्व छात्र भाग लेंगे। एमवीएम के पूर्व छात्र-छात्राएँ लगभग 3 क्रिंटल फूलों से होली खेलेंगे। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत संगीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। [पूर्व छात्रों को जहां एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा, वही वह अपनी पुरानी स्मृतियों को भी ताजा करेंगे। पूर्व छात्रों में अनेक ऐसे भी हैं जो वर्तमान में कॉलेज के प्राध्यापक अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक भी हैं। अभी तक लगभग 250 पूर्व छात्र छात्राएँ अपना पंजीयन करा चुके हैं। एमवीएम एलुमिनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पूर्व छात्रों के होली मिलन समारोह के आयोजन समिति के अध्यक्ष रवि शंकर पांडे और संयोजक उषेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कॉलेज से निकले अनेक पूर्व छात्र जो आज विभिन्न पदों पर आसीन हैं, इसमे भाग लेंगे।

स्पेशल खबर

नगरीय प्रशासन ने दिए नए दिशा-निर्देश...

पेड़ों के एक वर्गमीटर दायरे में नहीं होगा पेवर ब्लॉक, डामर और सीमेंट

भोपाल (काग्र)।	
प्रदेश में लगातार गिरता भूजल स्तर शासन-प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारों की राय के बाद सरकार ने भविष्य के बड़े संकट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।	
अब सभी शहरों में कांक्रीट और डामर की सड़कों के साथ फुटपाथ पर लगे पेड़ों के पास पेवल ब्लॉक नहीं लगाए जाएंगे। कुल एक गुणा एक की जगह छोड़नी होगी। नए पेड़ लगाने के लिए न्यूनतम 1.5 गुणा 1.5 का स्थान छोड़ना होगा। यह स्थान मिट्टी के लिए खुला रखना होगा। ताकि बारिश का पानी इन स्थानों से जमीन के अंदर पहुंच भूमिगत जल स्तर को बढ़ा सके। ऐसे ही सकड़ों और फुटपाथ से जुड़े कई निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किए हैं। भोपाल के 24 किमी लंबे बीआरटीएस के किनारे पेड़ों के तनों से लगकर सीमेंट या पेवर ब्लॉक	

लगाए गए। लिंक रोड नंबर 1, 2 और 3 तीन पर भी यही नजारा देखने को मिलता है। चिनार पार्क फुटपाथ समेत अन्य कई स्थानों पर भी पेड़ों को ऐसे ही बर्बाद दिया गया। अफसरों ने बताया कि, लगातार गिरते भूमिगत जल स्तर और पेड़ों के संरक्षण को लेकर भोपाल स्थित एनजीटी की सेंट्रल बेंच में याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया था कि विकास की दौड़ में कांक्रीट में तब्दील होते शहर चिंता का कारण बने हुए हैं। ओपन स्पेस कम होता जा रहा है तो साल दर साल भूमिगत जल स्तर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग तो ठीक बल्कि जानवरों को तक पेड़ों की छांव नसीब होना मुश्किल होता जा रहा है। कारण यह है कि सड़क और फुटपाथ पर पेड़ों के तनों से लगकर डामरीकरण या सीमेंट का उपयोग किया जाता है। सौदर्यीकरण के नाम पर तनों से ही लगकर पेवर ब्लॉक लगा दिए जाते हैं।

एनजीटी ने यह दिया था आदेश

याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने गाइडेंस फॉर ग्रीनिंग ऑफ अर्बन एरिया एंड लैंडस्पेस 2000 और एक्शन प्लान फॉर फ्लड फ्रूफिंग ऑफ सिटी/टाउन के तहत प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। पर्यावरण के साथ भूमिगत जल संरक्षण को लेकर सरकार की लापरवाही भी मानी गई। लिहाजा सरकार ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में नीति और नियमों का अध्ययन कराया। साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर परिषद को सात बिंदुओं का आदेश जारी किया। कांक्रीट और डामर की सड़क के पास लगे पेड़ों के चारों ओर न्यूनतम 1 बाय 1 मीटर की जगह खुली छोड़नी होगी। पेड़ के तने से लगे सीमेंट, डामर और पेवर ब्लॉक को 1 मीटर तक तोड़ना होगा। नए पेड़ लगाने के लिए कुल डेढ़ (1.5) मीटर जगह चारों ओर खुली छोड़ी जाएगी। छोड़े

गए स्थान पर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होगा। रोड साइट पेवमेंट को बनाने के लिए कांक्रीट एवं टाइल्स का उपयोग नहीं होगा। बेहतर क्रियानवहन के लिए निकाय अपने स्तर पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर संरक्षण के लिए प्लान बनाएँ। शहर के रिक्त स्थान यहां प्लानिंग के बाद भी निर्माण नहीं हुआ उन्हें ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित किया जाए।

बाढ़ की समस्या भी होगी हल यह भी निर्देश

नगरीय प्रशासन ने फ्लड फ्रूफिंग के लिए भी काम करने का निर्देश निकायों को दिया है। इसमें बताया गया है कि बिना ड्रेनेज सिस्टम के शहरों में बाढ़ की समस्या होती है। अनावश्यक कांक्रीट के उपयोग कारण बारिश का पानी जमीन सोख नहीं पाती लिहाजा शहरों में बारिश में हालात जल्द खराब हो जाते हैं। नाले-नालियों में भी कांक्रीट सीमेंट से सबसे ज्यादा चोक की समस्या को भी नगरीय प्रशासन ने

स्वीकार किया है।

गिरता भूमिगत जल स्तर पर भी खतरे की घंटी

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में प्रदेश के हालातों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसमें बताया गया है कि बीते 10 सालों में 63.24 प्रतिशत तक भूमिगत जल में गिरावट आई है। साल दर साल कई जिलों में गंभीर हालत पैदा हुए। एक्सपर्ट कमल राठी ने बताया था कि अर्बन प्लानिंग में खामियों के कारण कई गैलन रेन वाटर खराब हो जाता है। इसमें बताया गया था शहर के कुल 61 फीसदी भाग में निर्माण है या इनकी प्लानिंग है। बड़ा हिस्सा रोड नेटवर्क का है। यहां ड्रेनेज सिस्टम या सड़कों के बहते हुए पानी नाले-नालियों में बर्बाद हो जाता है। नालों का निर्माण भी अब पक्का हो चुका है। लिहाजा भूमिगत जल कम और रेन वाटर बर्बाद हो रहा है।

